भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1770

दिनांक 13.03.2013/ 22 फाल्गुन, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गायब हुए बच्चे

1770. श्री जय प्रकाश नारायण सिंह :
श्री सालिम अन्सारी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (एनसीआर) से बड़ी संख्या में बच्चे गायब हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान गुम हुए बच्चों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को दिल्ली में किसी गिरोह द्वारा बालिकाओं को बेचे जाने की जानकारी है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) गुम हुए बच्चों को खोजने और दोषियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा प्रदत्त आँकडों के अनुसार दिल्ली के लापता हुए, पता लगाए गए ओर पता न लगाए गए बच्चों से संबंधित उपलब्ध आंकडे निम्नुसार हैं-

वर्ष	लापता	पता लगाए गए	पता न लगाए गए
2010	5091	3937	1154
2011	6054	4823	1231
2012	4917	2543	2374

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लापता हुए बच्चों से संबंधित आंकड़े एन सी आर बी द्वारा केन्द्रीयकृत रुप से नहीं रखे जाते हैं।

.....2/-

(ग) से (घ) : गृह मंत्रालय को दिल्ली में सक्रिय ऐसे किसी संगठित गैंग की जानकारी नहीं है ।

(ङ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और, इसी प्रकार अपराध के निवारण, पहचान, पंजीकरण, अन्वेषण और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ-राज्य प्रशासनों की है।

गृह मंत्रालय ने "अवैध मानव व्यापार को रोकने" और "लापता बच्चों का पता लगाने" से संबंधित आवश्यक लापता बच्चों संबंधी उपायों के बारे में दिनांक 31 जनवरी, 2012 को एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवैध मानव व्यापार को रोकने और लापता बच्चों का पता लगाने के लिए विभिन्न उपायों की आवश्यकता पर भी परामर्श दिया गया। इसमें, लापता बच्चों का पता लगाने को सुगम बनाने के लिए रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, डी एन ए प्रोफाइलिंग, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों की भागीदारी, सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

अवैध मानव व्यापार के संगठित अपराध पहलू से प्रभावकारी ढंग से निपटने से संबंधित तरीकों और कार्यविधियों पर गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों को दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को एक परामर्शी पत्र जारी कर दिया है।

गृह मंत्रालय ने लापता बच्चों पर दिनांक 29 अक्तूबर, 2012 को एक अन्य परामर्शी पत्र जारी किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से, लापता बच्चों पर पहले ही शुरु हो चुके देश-व्यापी ऑन लाईन डाटा बेस 'ट्रेक चाइल्ड' का हिस्सा बनने का अनुरोध किया।

राज्य में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक बाल किशोर अधिकारी नियुकत करने के लिए दिनांक 02.012.2011 को सभी राज्य सरकारों/संघ-राज्य प्रशासनों को निर्देश देने के लिए उचचतम न्यायालय के फैसले पर आधारित एक परामर्शी पत्र परिचालित किया गया। देश में संबंधित जिलों मे विशेष किशोर पुलिस यूनिटों के गठन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बच्चों के विरुद्ध अपराध पर दिनांक 14 जुलाई, 2010 का एक परामर्शी जारी किया गया जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों/संस्थानों, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सार्वजनिक परिवहन, बच्चो के पार्कों/खेल परिसरों, आवासीय स्थानों/सड़कों आदि में सुरक्षा के हालातों को सुधारने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने की सलाह दी है। यह भी सलाह दी गई है कि अपराध संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाए और इन क्षेत्रों में होने वाले उल्लंघनों पर निगरानी रखने के लिए तंत्र स्थापित किया जाए जिससे कि छात्रों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

****